न्यायालयः—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड (म०प्र०) (समक्ष—ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/541/2017 CNR no. MP30010047732017 सिविल वाद कमांक 149 ए/2017 संस्थित दिनांक 28/08/2017

1. राजकुमार शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा, उम्र—50 वर्ष, 2. संतोष कुमार शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा, उम्र—47 वर्ष, सभी निवासी—ग्राम खिपोना, तहसील अटेर, जिला—भिण्ड (म0प्र0)आवेदकगण / वादीगण

/ / बनाम / /

- 1. महिला पप्पीदेवी पत्नी विनोद सिंह, 2. विनोद सिंह यादव पुत्र असफीलाल,
- निवासीगण—ग्राम खिपोना, पोस्ट—विण्डवा, तहसील अटेर व जिला—भिण्ड (म०प्र०)अनावेदकगण्/प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा। प्रतिवादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव।

<u>//आदेश//</u> (आज दिनांक 13.10.2017 को घोषित)

- 1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. यह अविवादित तथ्य है कि वादीगण ग्राम खिपोना, तहसील अटेर, जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 596 क्षेत्रफल 0.280 हे0 के भूमिस्वामी हैं, इसी भूमि के दक्षिण दिशा में सरकारी रास्ते की भूमि सर्वे क्रमांक 708 स्थित है और सर्वे क्रमांक 708 के दक्षिण में लक्ष्मण जाटव व ओमप्रकाश की भूमि सर्वे क्रमांक 671 व 705 स्थित है।
- 3. वादीगण का आवेदन यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 गांव की सरपंच है और प्रतिवादी क्रमांक 2 उसका पति है। ग्राम खिपौना स्थित वादीगण के स्वत्व व कब्जे

करायें ।

// 2//

4. प्रतिवादीगण का जवाब संक्षेप में यह है कि सरकारी रास्ते की जगह की कुल चौड़ाई 26 फीट थी, सर्वे कमांक 671 व 765 के भूमिस्वामी लक्ष्मण जाटव व ओमप्रकाश जाटव ने कोई अतिकमण नहीं किया है बिल्क स्वयं वादीगण ने सरकारी रास्ते की जगह पर अतिकमण कर लिया है और मौके पर सरकारी रास्ते की चौड़ाई केवल 10 फीट ही बची है। प्रतिवादीगण सरकारी रास्ते की भूमि सर्वे कमांक 708 के सीमांकन व सीमा चिन्ह निर्धारिण किये जाने के बाद पूर्व से निर्मित कच्ची सड़क पर ही पक्की सड़क का निर्माण कर रहे हैं। वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं है और अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

- 1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
- 3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु कमांक 1 से 3 :-

6. वादीगण भूमि सर्वे कमांक 596 के भूमिस्वामी हैं और राजस्व अभिलेखों में

वादीगण का ही नाम दर्ज है। वादीगण के अनुसार सरकारी रास्ते की जगह भूमि सर्वे कमांक 708 की चौड़ाई 30 फीट है और दक्षिण की ओर स्थित भूमि के भूमिस्वामी लक्ष्मण व ओमप्रकाश द्वारा अतिक्रमण कर मकान व चबूतरा बना लेने से मौक पर सरकारी रास्ते की जगह केवल 10 फीट ही बची है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण का कथन है कि सरकारी रास्ते की जगह की चौड़ाई 26 फीट थी, सीमांकन में वादीगण के खेत में रास्ते की जगह निकली है और इसी कारण झूठे आधारों पर वाद संस्थित किया गया है। अभिवचन से यह स्पष्ट है कि वास्तव में इस मामले में अतिक्रमण का विवाद है और सीमाओं का निर्धारण होना है।

- 7. प्रतिवादीगण के जवाब से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि मौके पर सड़क का निर्माण किया जा चुका है, बिल्क प्रतिवादीगण का यह कथन है कि पूर्व से निर्मित कच्चे रास्ते पर ही आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वादीगण भूमि सर्वे कमांक 596 के भूमिस्वामी है, प्रतिवादीगण की ओर से भी सीमांकन के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं हैं और सीमाओं के वास्तविक निर्धारण के पूर्व यदि भूमि सर्वे कमांक 596 पर प्रतिवादीगण सड़क का निर्माण कर लेते हैं तो निश्चित ही वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।
- 8. प्रतिवादीगण की यह आपित्त है कि म0प्र0 राज्य को पक्षकार नहीं बनाया गया है और वाद प्रचलनशील नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में वास्तव में स्वत्व का कोई विवाद नहीं है, केवल सीमाओं के निर्धारण व अतिक्रमण का विवाद है और म0प्र0 राज्य आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रतिवादीगण का यह भी तर्क है कि सीमाओं के विवाद और सीमाओं के निर्धारण की अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं बल्कि अनन्यतः राजस्व न्यायालय तहसीलदार को है। इस तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि इस मामले में अतिक्रमण का वास्तविक व सारभूत विवाद है और अपने स्वत्व व कब्जे की भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु वादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा के मुख्य अनुतोष हेतु यह सिविल वाद संस्थित किया है। निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित वाद की सुनवाई के क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है और इस प्रक्रम पर प्रतिवादीगण की आपित्त सारहीन है।
- 9. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों का निष्कर्ष यह है कि अविवादित रुप से वादीगण भूमि सर्वे कमांक 596 के भूमिस्वामी है, प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है और सीमाओं का वास्तविक निर्धारण कराये बिना यदि प्रतिवादीगण मौक पर सड़क का निर्माण कर लेते हैं तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और वाद का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 1/17 स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वाद के लम्बनकाल तक वादीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमि सर्वे क्रमांक 596 क्षेत्रफल 0.280 है0 के किसी भी भाग पर सड़क का निर्माण न करे और न ही करावें।

10. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह स्थगन आदेश सरकारी रास्ते की भूमि सर्वे कमांक 708 पर सड़क निर्माण की दशा में लागू नहीं होगा और प्रतिवादीगण सरकारी रास्ते की भूमि सर्वे कमांक 708 के अंदर सड़क बनाने के लिय स्वतंत्र हैं। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) (ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग—2 भिण्ड (म०प्र०)

ATTHER A PARENT BUTTIN BUTTING